


न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उनवान..... पुनील आज्ञा - पत्र बनारस
 किस्म मुकदमा..... 2012/00009 अपील संख्या..... 2012/00009
 अभिभाषक अपीलांत..... श्रीमती मीना अभिभाषक रेस्पोंडेंट..... श्रीमती मीना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.5.26	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी सम्बन्ध से कहर/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व जतेशानुसार विनांक 15/5/26 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सिद्ध भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	15/5/26
15.5.26	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांतगत को खंड-दंड कर तीन-तीन बार आवाजे लगावपीगपी। फिर भी उनको कोर से छोड़ भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अज्ञप्त लपती एवं अज्ञप्त पैरमी के खारिज हो जाती है। पत्रावली ईदल शुभा होना बाद लगील तदधील दादिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> (दीप्ति सम्बन्ध मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा</p>	<p>अज्ञप्त</p> 



न्यायालय: भू प्रबन्ध अधिकारी स्वम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महो.
कोटा केम्प झालावाड राज.

=====

- श्री B.L. जेठवानी
रड-एकवा पेशा उंच
बिफो पेबल
S.O. Coner
कोटा
3-2-2010
- 1-- चुन्नी लाल वल्द घीसा जाति लोधा निवासी रात्या ढूंगरी
2-- चम्पा लाल वल्द घीसा जाति लोधा तह. झा. पाटन जिला झालावाड
----- अपीलान्ट
- बनाम
- 1-- बरधा वल्द घीसा जाति लोधा निवासी रात्या ढूंगरी तह. झा. पाटन
जिला झालावाड राज.
- 2-- श्री गंगा राम वल्द घीसा जाति लोधा निवासी रात्या ढूंगरी तहसील
झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान ----- मृतक
- 1-- बाल चन्द पितरान स्व. गंगा राम लोधा जाति लोधा
निवासीयान रात्या ढूंगरी तह. झा. पाटन जिला झालावाड
- 2/2- मोती
- 2/3- लाल चन्द
- 2/4- सीता बाई पुत्री स्व. गंगा राम पत्नी शिव लाल जाति लोधा
निवासी जबरपुरा पोस्ट बरखेडा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
- 3- राजस्थान सरकार ज्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
राजस्थान ----- रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध फॉर्नल डिक्री दिनांक 24-10-2011
उपखण्ड अधिकारी झालावाड जो प्रं. सं. 536/2011
में पारित की गयी ।

मान्यवर,

अपीला र्थीगण द्वारा एक वाद सं. 314/2010 अधिनस्थ न्यायालय
के समक्ष पेश किया गया था जो दिनांक 3-8-2010 को प्राथमिक रूप से
डिक्री किया गया था जिसकी अपील रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 स्वम् गंगा राम
द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी स्वम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा के यहाँ प्रस्तुत की थी जो दिनांक 15-6-2011 को खारिज की
गयी थी और अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पुष्ट किया गया था । अपीला र्थी
गण की और से फॉर्नल डिक्री गुता बिक निर्णय मुरतिब किये जाने हेतु प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर बटवारा प्रस्ताव नायब तहसीलदार बकानी